

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/68  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00054  
CICOM/R/2018/01193

दिनांक: 06.03.2019

अपीलकर्ता : श्री उमेश प्रसाद सिंह,  
पोस्ट ऑफिस रोड, सर्कश मैदान,  
बड़ी अलीगंज, पाकुड़,  
झारखंड- 816107.

निर्णय की तारीख: 06.03.2019

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 27.11.2018                        |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि           | 13.09.2018 (टंकण चूक), 01.03.2019 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री एस. सी. शर्मा                |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 09.02.2019                        |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 87/27.02.2019 (9429/26.02.2019)   |

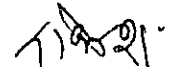
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 03.04.2018 को आयोग को प्रेषित पत्र के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत उनकी अपील मंजूर किए जाने से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उन्हें अभी तक पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है, केवल सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन अग्रसारित किए जाने से संबंधित पत्र मिला है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित स्पष्ट सूचना श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01193 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई है, साथ ही श्री एस. एस. शर्मा द्वारा उक्त पत्र में देर से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है। श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01193 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना से अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।

  
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

